न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 27 / 2022

1 सुशील कुमार पुत्र रामसिंह।

2 श्रीमती विनोद देवी पत्नी सुशील कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण शिवराणा का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते
सीकर

बनाम

1 नौंरगलाल पुत्र गणपतलाल।

2 प्रहलाद पुत्र भगवानाराम (मृतक)।

2/1 श्रीमती गिनिया स्त्री प्रहलाद।

2/2 सतीश पुत्र प्रहलाद।

2/3 सुनिल पुत्र प्रहलाद।

2/4 अनिल पुत्र प्रहलाद।

2/5 अरूण पुत्र प्रहलाद।

2/6 अभिलाषा पुत्री प्रहलाद।

3 रामचन्द्र पुत्र भगवाना।

4 खेमचन्द पुत्र भगवाना।

5 कालु पुत्र भगवाना समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 20 कस्बा लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

6 घासीराम पुत्र बक्साराम जाति जाट निवासी नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

7 भंवरलाल पुत्र बनवारीलाल।

8 लालचन्द उर्फ लाला पुत्र बनवारीलाल।

9 गणेश पुत्र बनवारीलाल।

10 परमेश्वर पुत्र बनवारीलाल।

11 भुरा पुत्री दीपा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 गोपीराम दत्तक पुत्र दीपा समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 20 कस्बा लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

13 राजस्थान ग्रामीण बैंक परिवर्तित नाम बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।

14 हल्का पटवारी कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

15 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये भूमिधारक सरकार राज्य।

16 चन्दा पुत्री बनवारीलाल।

17 मनीषा देवी पत्नी प्रमोद उर्फ मुन्ना पुत्र बनवारीलाल समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 20 कस्बा लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर दिनांक 10.10.19 दावा अनुवानी नौरंगलाल बनाम प्रहलाद आदि दावा संख्या 01/2015 अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. सुशीला कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 31.5.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2015 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने कस्बा लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 1263/2 के सन्दर्भ में दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 96 व 5 के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी ने विचारण न्यायालय के यहा जो दावा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1263/2 में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा मोदी शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ को विक्रय कर दिया था व वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 का विवादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग पर कोई कब्जा काश्त नही होते हुये भी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय को मुगालता देकर विरूद्व कानून अपना दावा डिक्री करवाया है। विवादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट संख्या 11 व 12 कमश भुरा व गोपीराम ने अपना सम्पूर्ण 1/8,1/8 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांकित 29.09. 2018 व 20.04.2018 अपीलांट संख्या 2 व अपीलांट संख्या 1 को विकय कर दिया उक्त तथ्य की जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 11 व 12 को होते हुए भी उन्होने दावे में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया जबकि अपीलांट विवादग्रस्त आराजी पर कय करने के रोज से बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार निरन्तर काबिज चले आ रहे है। निर्णय व डिक्री जेर अपील दिनांक 10.10.2019 को पारित की गई है जबकि अपीलांट निर्णय व डिक्री जेर अपील पारित होने के काफी समय पूर्व से विवादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट संख्या 11 व 12 के स्थान पर काबिज चले आ रहे है उक्त तथ्य की जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 को होते हुये भी उसने अपीलांट को जानबुझकर दावे में पक्षकार नही बनाया। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को बिना कोई नोटिस व सूचना दिये व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर

बिना उन्हे सुनवाई का मौका दिये ही अपना निर्णय व डिक्री जेर अपील प्राकृतिक न्याय व न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विरूद्व पारित किया है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय से उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी कर दिनांक 03.03. 2022 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर नकल प्राप्त होने पर अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी नकल मिलने पर हुई इससे पूर्व अपीलांट को निर्णय व डिक्री जेर अपील की कोई जानकारी नही थी अपीलांट विवादग्रस्त आराजियात पर कय करने के रोज से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है व अपीलांट का विवादग्रस्त आराजीयात पर कय करने के रोज से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है व अपीलांट का विवादग्रस्त आराजीयात में हित निहित है निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रभावी रहने से अपीलांट के अधिकारो पर कुप्रभाव पड़ता है अपीलांट के हितो की रक्षा के लिए व न्याय व सही निर्णय के लिए अपीलांट को अपील करना आवश्यक हुआ। जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है मियाद का फायदा दिये जाने हेतु अपीलांट प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद था। दावा दायरी के दिन के खातेदारों को पक्षकार बनाया था। विभाजन प्रस्ताव आने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने आपत्ति की शेष ने आपत्ति नही की है। रेस्पोडेंट संख्या 11 व 12 ने भूमि बेचान कर दी। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नही थे। विभाजन के वाद में सहकाश्तकार प्रभावित पक्षकार होता है। चूकि अपीलांट पक्षकार नही थे। इसलिए उन्हे विचाराधीन निर्णय की जानकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

नही थी। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय मे खसरा नम्बर 1263/2 के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। अन्तिम डिक्री से पूर्व रिकार्डेड खातेदार प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र अपना हिस्सा अपीलांट को विक्रय कर दिया। विचारण न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार बनाये बिना, आपत्ति का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचाराधीन निर्णय से केवल खसरा नम्बर 1263/2 रकबा 8 हैक्टेयर में से रेस्पोडेंट संख्या 1 के हिस्से रकबा 1.12 हैक्टेयर का ही विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। शेष खातेदारो का विभाजन नही किया गया है। विधि अनुसार विभाजन के वाद में विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय सभी सहखातेदारो के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना चाहिए। विचारण न्यायालय ने आंशिक विभाजन को स्वीकार कर विचाराधीन अन्तिम डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की उपस्थिति में पुन विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन अधिकारी